

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 18.9.12

संख्या-12/प0 -(मू0 को0) 4002/12-सा0प्र0- /3031 /बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएँ वापस लेते हुए/स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है/सेवा सौंपी जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री सुधीर कुमार, 1230/11, सीतामढ़ी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर, सारण	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी (गया)
2	श्री मो0 वारिस खान, 856/11, सिवान	वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चंपारण	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
3	श्री शैलेन्द्र कुमार, 1093/11, भागलपुर	वरीय उप समाहर्ता, सुपौल	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर, सारण के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ।
4	श्री हीरामुनी प्रभाकर, 938/11, रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर	जिला पंचायतराज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने हेतु सेवा पंचायतीराज विभाग में ।

2. उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में अंकित पदाधिकारी क्रमशः श्री सुधीर कुमार एवं श्री मो0 वारिस खान को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । साथ ही संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(विमलेश कुमार झा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प0 -(मू0 को0) 4002/12-सा0प्र0- /3031 /पटना, दिनांक- 18.9.12

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन

विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/11/12  
सरकार के उप सचिव